

अध्याय II

वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियमों के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों की राशि की तुलना में सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दत्तमत और प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को पृथक-पृथक रूप से दर्ज करते हैं तथा बजट के प्रभारित एवं दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत व्यय के समक्ष विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सरल बनाते हैं और इस प्रकार ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और उसी प्रकार प्रभारित किया गया है जैसा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित किये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से सूचनायें, जिन पर इनके अनुमान आधारित होते हैं, प्राप्त कर, वार्षिक बजट तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। प्राप्तियों एवं व्ययों के विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों से परामर्श कर तैयार किये जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात, वित्त विभाग अनुमानों का समेकन तथा विस्तृत अनुमानों एवं अनुदानों को तैयार करता है। जहाँ तक संभव हो व्यय के अनुमान यथार्थ होने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी निश्चित मद में व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि वह राशि होनी चाहिये जो कि वर्ष में व्यय की जा सकती है तथा यह ना तो अधिक होनी चाहिए ना ही कम।

2.2 विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2014-15 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति नीचे दी गयी तालिका 2.1 के अनुसार थी:

तालिका 2.1 : मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि का बचतों से प्रतिशत	
दत्तमत	I-राजस्व	97,347.57	2,792.30	1,00,139.87	86,513.60	(-) 13,626.27	13,596.84	13,596.84	99.8
	II-पूँजीगत	21,378.83	1,094.72	22,473.55	16,739.97	(-) 5,733.58	5,271.75	5,271.75	91.9
	III-कर्ज तथा उधार	517.94	18.54	536.48	700.78	(+) 164.30	150.75	150.75	-
आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-
योग दत्तमत	1,19,244.34	4,205.56	1,23,449.90	1,04,254.35	(-) 19,195.55	19,019.34	19,019.34	-	
प्रभारित	IV-राजस्व	10,579.50	67.47	10,646.97	10,570.38	(-) 76.59	75.31	75.31	98.3
	V-पूँजीगत	0.02	-	0.02	0.02	-	¹	¹	-
	VI-लोक ऋण पुनर्भूगतान	4,956.89	-	4,956.89	4,960.04	(+) 3.15	15.28	15.28	-
योग प्रभारित	15,536.41	67.47	15,603.88	15,530.44	(-) 73.44	90.59	90.59	-	
कुल योग	1,34,780.75	4,273.03	1,39,053.78	1,19,784.79²	(-) 19,268.99	19,109.93	19,109.93	99.2	

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 2.1 यह इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान लिया गया ₹ 4,273.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान/विनियोग के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया। समग्र बचत (₹ 19,268.99 करोड़), पूँजीगत अनुभाग के एक अनुदान के समग्र आधिक्य ₹ 3.15 करोड़ से प्रतिसादित, राजस्व अनुभाग की 49 अनुदानों एवं 44 विनियोगों तथा पूँजीगत अनुभाग की 35 अनुदानों एवं 3 विनियोगों में राशि ₹ 19,272.14 करोड़ की बचत का परिणाम थी।

¹ केवल ₹ 5,000

² ये वास्तविक व्यय के आँकड़ें हैं जिनमें व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित हैं (राजस्व: ₹ 2,542.01 करोड़ तथा पूँजीगत: ₹ 637.30 करोड़, कुल: ₹ 3,179.30 करोड़)

जैसाकि, समग्र राजस्व घाटा (₹ 3,215 करोड़) तथा राजकोषीय घाटा (₹ 19,000 करोड़) भी रहा, यदि सरकार बचतों को प्राप्त नहीं करती, तो उनका राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 16,918 करोड़ एवं ₹ 38,272 करोड़ तक पहुँच जाता, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	वास्तविक	घाटा, यदि बचतें नहीं की जाती
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)3,215	(-)16,918
राजकोषीय घाटा (-)	(-)19,000	(-)38,272

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को, बचतों/आधिक्यों के महत्वपूर्ण अंतरों के कारण स्पष्ट करने के अनुरोध के साथ, विस्तृत विनियोग लेखे प्रेषित (जून एवं जुलाई 2015) किये गये। 1,516 उप-शीर्षों में से, 811 उप-शीर्षों (बचत: 652 तथा आधिक्य: 159) में अन्तरों के स्पष्टीकरण प्रतीक्षित (नवम्बर 2015) रहे।

2.3 वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 गत वर्षों (2010-14) से सम्बन्धित प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिये अनुदान/विनियोग में हुए आधिक्य का राज्य विधानसभा द्वारा नियमन करवाना अनिवार्य है। यद्यपि, व्यय के नियमितीकरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है तथापि, ऐसा नियमितीकरण जन लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के बाद किया जाता है।

वर्ष 2010-14 के लिये 13 अनुदानों में आधिक्य व्यय की राशि ₹ 20.74 करोड़ का नियमन किया जाना शेष था (10 अगस्त 2015)। वर्षवार विवरण नीचे तालिका 2.2 में सारीकृत किया गया है।

तालिका 2.2: गत वर्षों के प्रावधान से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग एवं नाम	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति (10 अगस्त 2015 तक)
2010-11	4	20-आवास	पूँजीगत-दत्तमत	2.16	पैरा संख्या 2.3.5 पर 14वीं विधानसभा का 13वीं जन लेखा समिति प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। सरकार द्वारा क्रियान्वित
		27-पेयजल योजना	राजस्व-दत्तमत	15.70	
		28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	राजस्व-दत्तमत	1.90	

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की कुल संख्या	अनुदान/विनियोग एवं नाम	संख्या	अनुदान/विनियोग	आधिक्य की राशि (₹ करोड़ में)	जनलेखा समिति द्वारा परीक्षण किये जाने की स्थिति (10 अगस्त 2015 तक)
		38-लघु सिंचाई एवं भू संरक्षण		पूँजीगत-दत्तमत	0.01	विषयक टिप्पणी प्राप्त हुई और संवीक्षा टिप्पणी प्रेषित की गई।
	2	13-आबकारी		राजस्व-प्रभारित	³	
		15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		राजस्व-प्रभारित	0.03	
2011-12	1	48-विद्युत		पूँजीगत-दत्तमत	0.01	पैरा संख्या 2.3.5 पर 14वीं विधानसभा का 46वीं जन लेखा समिति प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणी प्राप्त हुई और संवीक्षा टिप्पणी प्रेषित की गई।
	2	12-अन्य कर		राजस्व-प्रभारित	0.11	
		36-सहकारिता		राजस्व-प्रभारित	⁴	
2012-13	2	11-विभिन्न सामाजिक सेवायें		राजस्व-प्रभारित	0.01	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		20-आवास		राजस्व-प्रभारित	⁵	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
2013-14	2	16-पुलिस		राजस्व-प्रभारित	⁶	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
		41-सामुदायिक विकास		पूँजीगत-दत्तमत	0.81	जलेस द्वारा परीक्षण नहीं किया गया
योग	13				20.74	

स्रोत: विनियोग लेखे।

2.3.2 वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिनका नियमन अपेक्षित है

वर्ष 2014-15 के दौरान, एक विनियोग में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत राशि से अधिक कुल आधिक्य ₹ 3.15 करोड़ रहा, जिसका संविधान की धारा 205 के अधीन नियमन करवाना अपेक्षित है जिसे तालिका 2.3 द्वारा दर्शाया गया है:

³ केवल ₹ 54,783

⁴ केवल ₹ 57

⁵ केवल ₹ 2,100

⁶ केवल ₹ 23,122

तालिका 2.3: वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विनियोग/अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत प्रभारित				
1.	लोक ऋण	4,956.89	4,960.04	3.15
कुल योग		4,956.89	4,960.04	3.15

स्रोत: विनियोग लेखे।

राज्य समेकित निधि में प्राधिकृत राशि से अधिक व्यय के कारण तालिका 2.4 में दिये गये हैं।

2.3.3 बिना प्रावधान के व्यय

राज्य बजट नियमावली के पैरा 21.19.1(अ) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार, योजना/सेवा पर व्यय बिना निधि के प्रावधानों के नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, विनियोग लेखे 2014-15 की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित उपशीर्ष में राशि ₹ 18.44 करोड़ का व्यय बिना किसी वास्तविक अनुमान/अनुपूरक मांग तथा बिना किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के प्रभाव के किया गया, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: 2014-15 के दौरान शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय के मामलें

क. सं.	विनियोग का नाम	लेखाशीर्ष	बिना प्रावधान के व्यय राशि (₹ करोड़ में)	कारण
1.	लोक ऋण	6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 106-प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र 02-विशेष बाण्ड (पावर बॉण्ड्स) 18-8.50% कर-मुक्त राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2015	18.44	वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया (4 सितम्बर 2015) गया कि पावर बॉण्ड के भुगतान की देय तिथि 1 अप्रैल 2015 थी, परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2015 को राशि ₹ 18.44 करोड़ नामे कर दिये गये जिसके परिणामस्वरूप इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय, बिना किसी प्रावधान के पुस्तांकित किया गया।

निधि के प्रावधान के बिना व्यय अनियमित तथा अनाधिकृत था।

2.3.4 आधिक्य व्यय

10 लेखाशीर्षों में, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में आधिक्य व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक और कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से भी अधिक था (*परिशिष्ट 2.1*)। इसके अतिरिक्त, एक विनियोग 'लोक ऋण' के अन्तर्गत ₹ 3.15 करोड़ का आधिक्य व्यय था।

निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप आधिक्य व्यय, बजट एवं व्यय नियंत्रण में कमी को इंगित करता है।

2.3.5 व्यय की अधिकता

व्यय की समान गति रखना ठोस लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक निर्णायक घटक है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति वाले महीनों में व्यय की अधिकता से बचना चाहिये।

वर्ष 2014-15 के दौरान, 79 उप-शीर्षों (*परिशिष्ट 2.2*) में ₹ 14,075.99 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक) का व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया, जो कि कुल व्यय का 51.6 प्रतिशत था। इसमें से ₹ 9,888.46 करोड़ (70.3 प्रतिशत) केवल मार्च 2015 में व्यय किये गये।

मुख्य शीर्षों, जिनमें वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 25 करोड़ तथा कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय, या तो अंतिम तिमाही के दौरान या अंतिम माह के दौरान किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में व्यय की अधिकता के मामलों

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2015 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय से प्रतिशत	राशि	कुल व्यय से प्रतिशत
1.	2075-विविध सामान्य सेवाये	617.52	616.47	99.8	615.90	99.7
2.	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	741.35	1,046.05	141.1	1,003.15	135.3
3.	2425-सहकारिता	611.51	331.88	54.3	311.75	51.0
4.	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	491.22	352.78	71.8	249.41	50.8
5.	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाये	70.64	54.74	77.5	54.12	76.6
6.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	484.32	311.32	64.3	257.57	53.2
7.	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,249.21	2,863.57	67.4	2,710.97	63.8
8.	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	42.57	42.57	100	42.57	100
9.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	167.07	139.48	83.5	118.45	70.9

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान।

इसमें से, अकेले मार्च 2015 के दौरान कुल राशि (₹ 21,504.36 करोड़) का 12.75 प्रतिशत (₹ 2,742.78 करोड़) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित/जमा किये गये जैसाकि अनुच्छेद 3.6 में विस्तृत है।

इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंत में बड़ी राशि खर्च की गयी जो व्यय के ऊपर कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

2.3.6 आवांति प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

वित्तीय वर्ष के दौरान बजट आवंटन में, व्यय के संदर्भ में विचलन था, जो बजट प्रक्रिया की प्रत्येयता तथा बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्न उत्पन्न करता है।

विनियोग लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 19,268.99 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध ₹ 17,885.40 करोड़ (92.8 प्रतिशत) की बचतें, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक, 23 अनुदानों में थी, जैसाकि नीचे तालिका 2.6 में दर्शाया गया है-

तालिका 2.6: ₹ 100 करोड़ एवं अधिक की बचतों के साथ अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
(अ) राजस्व-दत्तमत							
1	9-वन	747.86	नगण्य राशि	747.86	630.62	117.24 (15.7)	पदों का रिक्त रहना, विस्थापन हेतु ग्रामीणों की सहमति प्राप्त न होना, भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किशत प्राप्त न होना तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि कम जारी करना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
2	15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,037.00	858.11	9,895.11	9,628.97	266.14 (2.7)	वर्ष 2006 से पूर्व तथा 2013 से पूर्व के पेंशनरों के नये संशोधित पेंशन के प्रकरण पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं करना तथा बैंकों द्वारा अंतिमीकरण किये गये प्रकरणों का विलम्ब से भुगतान होना।
3	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	19,318.57	नगण्य राशि	19,318.57	16,570.32	2,748.25 (14.2)	तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद नहीं भरना, पदों का रिक्त रहना तथा भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
4	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	6,251.69	नगण्य राशि	6,251.69	5,081.45	1,170.24 (18.7)	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार द्वारा कम अंश जारी करना, निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) से निधियाँ प्राप्त होने के पश्चात् राजस्थान स्वास्थ्य सेवायें निगम लिमिटेड

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचते (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
							को कम निधियाँ जारी करना, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पीडी खाते में निधियों के हस्तान्तरण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करना तथा मशीनरी एवं उपकरणों का कम क्रय होना।
5	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	477.18	117.52	594.70	310.30	284.40 (47.8)	भारत सरकार से कम निधि प्राप्त होना, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के लिये भारत सरकार से निधियों की द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना तथा भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु निधियाँ प्राप्त नहीं होना।
6	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2,863.76	नगण्य राशि	2,863.76	2,298.24	565.52 (19.7)	भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना, तेरहवें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कम अनुदान जारी करना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
7	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	6,352.64	नगण्य राशि	6,352.64	5,130.08	1,222.56 (19.2)	भारत सरकार से निधियाँ कम/नहीं प्राप्त होना, पदों का रिक्त रहना, आयोजना सीमा में कटौती, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
8	33-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,355.35	236.78	5,592.13	5,358.86	233.27 (4.2)	भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना, पदों का रिक्त रहना, छात्रवृत्ति तथा वजीफों पर कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
9	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2,166.52	272.40	2,438.92	2,311.91	127.01 (5.2)	सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि राहत कार्यों पर कम व्यय होना।
10	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	847.72	-	847.72	398.20	449.52 (53.0)	भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना, चुनाव आचार संहिता के कारण 'भामाशाह योजना, 2014' के अन्तर्गत भामाशाह पंजीयन तथा भामाशाह कार्ड बनाने पर कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
11	37-कृषि	1,956.80	नगण्य राशि	1,956.80	1,546.91	409.89 (20.9)	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होना तथा सामान्य किसानों को दिये जाने वाले अनुदानों की सीमा में कटौती से किसानों द्वारा 'ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना' में कम रुचि लेने के कारण कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखों में प्रतिवेदित बचतों के कारण
12	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	632.06	-	632.06	511.35	120.71 (19.1)	वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, औषधियों और भेषज पर कम व्यय, आयोजना सीमा में कटौती, हिन्गोनिया गौशाला के लिये उपकरणों की दरों की स्वीकृति नहीं मिलना, राज्य सरकार द्वारा गौशाला को अनुदान जारी करने के नीतिगत निर्णय नहीं लेना तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
13	41-सामुदायिक विकास	5,065.56	28.03	5,093.59	4,457.14	636.45 (12.5)	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदानों में 52 प्रतिशत तक की कमी करना, भारत सरकार से द्वितीय किशत की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदानों में कमी, भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा 'भामाशाह योजना, 2008' के बकाया दायित्वों का भुगतान नहीं होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
14	46-सिंचाई	1,814.74	नगण्य राशि	1,814.74	1,702.88	111.86 (6.2)	पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
15	48-विद्युत	10,384.96	नगण्य राशि	10,384.96	9,114.40	1,270.56 (12.2)	पॉवर बॉण्ड पर ब्याज का कम भुगतान, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के आधार पर अनुदान जारी करना, विद्युत कर की वसूली के अनुसार विद्युत कम्पनियों को अनुदान जारी करना, राजस्व हानियों के पुनर्भरण हेतु जारी अनुदान के अनुमाप में बदलाव से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को कम अनुदान जारी होना।
16	50-ग्रामीण रोजगार	3,611.45	-	3,611.45	2,389.85	1,221.60 (33.8)	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से कम निधियाँ प्राप्त होना।
17	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	6,164.27	नगण्य राशि	6,164.27	4,509.85	1,654.42 (26.8)	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से निधियाँ नहीं कम/प्राप्त होना, 'भामाशाह योजना' पर कम व्यय होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
	उप योग (अ)	83,048.13	1,512.84	84,560.97	71,951.33	12,609.64	
	(ब) पूँजीगत दत्तमत						
18	12-अन्य कर	374.78	-	374.78	74.78	300.00 (80.0)	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्थान पर बस अड्डा विकास प्राधिकरण के गठन के निश्चित करने के बाद सम्पत्तियों के हस्तांतरण की कार्यवाही की क्रियान्विति नहीं होना तथा वर्ष के दौरान

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचते (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
							प्रस्तावित प्राधिकरण के अस्तित्व में न आना।
19	19-लोक निर्माण कार्य	1,397.65	नगण्य राशि	1,397.65	709.61	688.04 (49.2)	कार्य की अधिकता के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण नहीं होना तथा कार्यों का कम निष्पादन होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
20	21-सड़कें एवं पुल	3,281.25	-	3,281.25	2,399.82	881.43 (26.9)	कार्यों का कम निष्पादन होना तथा कार्यों के परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता प्रभार का समायोजन होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
21	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	346.25	-	346.25	223.28	122.97 (35.5)	कार्य की धीमी प्रगति, 1,079 प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं करना, ऋणों के विरुद्ध नाबार्ड द्वारा कम राशि प्राप्त करना तथा भारत सरकार से निधियों प्राप्त नहीं होना।
22	27-पेयजल योजना	3,299.95	273.76	3,573.71	3,308.02	265.69 (7.4)	कार्यों की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण कार्यों की धीमी प्रगति रहना, जल संसाधन विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं करना तथा निविदा प्रक्रिया में देरी होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
23	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1280.91	-	1,280.91	707.49	573.42 (44.8)	अनुबंधों के समाप्ति के कारण सीवरेज क्षेत्र में निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति रहना, भूमि उपलब्धता में देरी होना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रेल्वे क्रॉसिंग हटाने में देरी होना, पदों का रिक्त रहना, आयोजना सीमा में कटौती तथा भूमि के स्थान में बदलाव होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
24	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,306.93	425.55	2,732.48	2,116.63	615.85 (22.5)	नाबार्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति जारी नहीं करना, कार्य का कार्यान्वयन कम/नहीं होना तथा भारत सरकार से निधियों का कम/नहीं प्राप्त होना।
25	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	301.82	नगण्य राशि	301.82	45.84	255.98 (84.8)	भूमि आवंटन में देरी के परिणामस्वरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय विद्यालयों के निर्माण में धीमी प्रगति रहना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
26	37-कृषि	429.96	-	429.96	309.66	120.30 (28.0)	राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
27	42-उद्योग	20.12	0.10	20.22	(-) 81.64	101.86 (503.8)	राज्य सरकार द्वारा ऋणात्मक व्यय के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखे में प्रतिवेदित बचतों के कारण
28	43-खनिज	103.56	-	103.56	(-) 4.65	108.21 (104.5)	राज्य में रिफाईनरी की स्थापना हेतु एचपीसीएल के साथ किये गये एमओयू के अध्ययन हेतु बनाई गई समीक्षा समिति द्वारा निर्णय देने में देरी के परिणामस्वरूप एचपीसीएल-राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड को अंश पूँजी जारी नहीं करना।
29	46-सिंचाई	1,165.59	नगण्य राशि	1,165.59	953.91	211.68 (18.2)	कार्य का कम निष्पादन, निधियों की कम/नहीं प्राप्त होना तथा चुनाव की आचार संहिता के कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होना।
30	48-विद्युत	3,600.00	नगण्य राशि	3,600.00	3,067.13	532.87 (14.8)	आयोजना सीमा में कटौती के कारण विद्युत कम्पनियों में कम निवेश होना।
31	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,712.86	336.58	3,049.44	2,551.98	497.46 (16.3)	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होना, प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी न होना तथा आयोजना सीमा में कटौती के कारण विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों में अंश पूँजी का कम विनियोजन होना। राज्य सरकार द्वारा अधिकतर प्रकरणों में बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
	योग (ब)	20,621.63	1,035.99	21,657.62	16,381.86	5275.76	
	महा योग (अ+ब)	1,03,669.76	2,548.83	1,06,218.59	88,333.19	17,885.40	

स्रोत: विनियोग लेखे

ऊपर चर्चित प्रकरण इंगित करते हैं कि इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा विभागों द्वारा व्ययों का बजट अनुमान तैयार करते समय राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 17,885.40 करोड़ की बचतें हुई।

कुल बचत ₹ 19,268.99 करोड़ में से, ₹ 12,609.64 करोड़ (65.4 प्रतिशत) की बचत (₹ 100 करोड़ तथा अधिक) 'राजस्व-दत्तमत' अनुभाग से संबंधित थी, जो कि व्यय के दोषपूर्ण बजट अनुमान को इंगित करती है। वृहद बचतें शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जनजाति क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, विद्युत तथा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत थी। बचतों का मुख्य कारण पदों का रिक्त रहना था। रिक्त पदों के लिए बजट अनुमान रखना राबनि के पैरा 13.18.2 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन था। अन्य कारण भारत सरकार से निधियों का कम/नहीं प्राप्त होना तथा आयोजना परिव्यय में कमी तथा पॉवर बॉण्ड पर ब्याज का कम भुगतान होना प्रतिवेदित किये गये थे।

राशि ₹ 5,275.76 करोड़ (27.4 प्रतिशत) की बचतें (₹ 100 करोड़ तथा अधिक) 'पूँजीगत अनुभाग' से संबंधित थी। वृहद बचतें लोक निर्माण, नगर आयोजना एवं

प्रादेशिक विकास, सड़कें एवं पुल, जनजाति क्षेत्रीय उप-योजना, सिंचाई, विद्युत तथा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत थी। बचतों का मुख्य कारण भारत सरकार से निधियों का प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन, आयोजना सीमा में कटौती के परिणामस्वरूप विद्युत कम्पनियों में कम निवेश होना, स्वीकृतियाँ जारी नहीं होना तथा कार्यों का कम निष्पादन/धीमी प्रगति होना रहे, जोकि वर्ष के दौरान विकास कार्यों में ठहराव तथा राज्य सरकार की सम्पत्तियों का सृजन नहीं करने को इंगित करता है।

22 प्रकरणों में बचतें 20.9 एवं 503.8 प्रतिशत के मध्य रही तथा प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही, जैसाकि **परिशिष्ट 2.3** दर्शाया है।

2.3.7 निरन्तर बचतें

पिछले तीन वर्षों के दौरान, 17 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल अनुदान के 10 प्रतिशत से अधिक की, निरन्तर बचतें रही जैसा कि **तालिका 2.7** में सारीकृत है। निरन्तर बचतों के लिए मुख्य कारणों सहित विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिये गये है।

तालिका 2.7- अनुदानों की सूची वर्ष 2012-15 के दौरान निरन्तर बचतों को इंगित करती है
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या तथा अनुदान का नाम	बचतों की राशि		
		2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व-दत्तमत				
1.	09-वन	154.23	188.29	117.24
2.	11-विभिन्न सामाजिक सेवायें	20.10	13.60	42.47
3.	20-आवास	12.45	24.01	14.84
4.	28-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	84.83	30.39	284.40
5.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	35.25	22.44	449.52
6.	43-खनिज	82.11	25.29	94.51
7.	48-विद्युत	1,000.00	2,177.50	1,270.56
8.	50-ग्रामीण रोजगार	60.69	57.43	1,221.60
पूँजीगत-दत्तमत				
9.	11-विभिन्न सामाजिक सेवायें	1.59	1.62	16.29
10.	19-लोक निर्माण कार्य	135.71	277.74	688.04
11.	23-श्रम एवं रोजगार	1.38	2.87	2.88
12.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	19.20	47.97	28.47
13.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	67.07	42.80	122.97
14.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	193.94	414.99	573.42
15.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	232.27	222.84	615.85
16.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	85.77	11.21	255.98
17.	46-सिंचाई	228.97	279.18	211.68

स्रोत: विनियोग लेखे

निरन्तर बचतों का कारण मुख्यतः पदों का रिक्त रहना था। बजट अनुमानों के अन्तर्गत रिक्त पदों का प्रावधान करना राबनि का उल्लंघन था। बचत के अन्य कारण भारत सरकार से निधियाँ कम/प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन/धीमी प्रगति तथा आयोजना परिव्यय में कटौती होना, प्रतिवेदित किये गये थे।

विगत वर्षों में निरन्तर बचतें, सरकार द्वारा निधियों की आवश्यकता की पर्याप्त संवीक्षा एवं व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण का अभाव तथा विनियोग विधेयक में अधिक निर्धारण का सूचक है। विभिन्न विभागों में प्रभावी बजटीय नियंत्रण नहीं था तथा पिछले वर्षों के व्ययों की प्रवृत्तियों का इस वर्ष के बजट आवंटन के समय ध्यान नहीं रखा गया। निरन्तर बचतों से बचने हेतु वित्त विभाग द्वारा इन अनुदानों से संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

2.3.8 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

राबनि का पैरा 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर व्यय करने की आवश्यकता होती है, तो विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2014-15 के दौरान 14 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) में लिया गया ₹ 1,168.36 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ (*परिशिष्ट 2.5*)। महत्वपूर्ण प्रकरण जिनमें प्रत्येक मामले अनुपूरक प्रावधान में ₹ 100 करोड़ से अधिक के अनावश्यक सिद्ध हुये, नीचे तालिका 2.8 में विवेचित किये गये हैं:

तालिका 2.8: वर्ष 2014-15 के दौरान ऐसे मामलों जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ 100 करोड़ से अधिक) अनावश्यक रहा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या तथा अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	अनुपूरक प्रावधानों के कारण
राजस्व-दत्तमत					
1	28- ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	477.18	117.52	310.30	भारत सरकार से समन्वित जल ग्रहण विकास योजना हेतु अधिक केन्द्रीय अंश प्राप्त होने की प्रत्याशा में।
पूँजीगत-दत्तमत					
2	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,306.93	425.55	2,116.63	विभिन्न योजनाओं यथा सड़कों एवं पुलों, जलापूर्ति, मध्यम सिंचाई आदि के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों के व्ययों की पूर्ति हेतु।
3	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,712.86	336.58	2,551.98	विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों में पूँजी विनियोजन के लिये।

स्रोत: विनियोग लेखे

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में यह पाया गया कि अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था। यह इन विभागों द्वारा वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के आंकलन में त्रुटि एवं व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण में विफलता, जैसाकि राबनि के अध्याय 21 में विहित है, को इंगित करता है। इस प्रकार इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के बिना किये गये।

2.3.9 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अंतरण है।

अविवेकपूर्ण किया गया पुनर्विनियोजन अत्यधिक, अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ, परिणामस्वरूप 59 उप-शीर्षों में ₹ 62.75 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ एवं 262 उप-शीर्षों में ₹ 270.97 करोड़ की अंतिम बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 18 लेखा शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक का अंतिम आधिक्य/बचत हुई (परिशिष्ट 2.6)। सात लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, 2 लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 9 लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ। इससे इंगित होता है कि इस प्रकार के पुनर्विनियोजन से पहले निधियों की आवश्यकता/उपलब्धता का सही आंकलन नहीं किया गया।

2.3.10 अवर्णित पुनर्विनियोजन

राबनि के पैरा 23.15.6 में उल्लिखित है कि प्रत्याशित बचतों अथवा आधिक्यों के कारण स्पष्ट किये जाने चाहिये। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2015) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1,190 प्रकरणों में से मात्र 324 प्रकरणों के स्पष्टीकरण प्राप्त हुये, बकाया 866 प्रकरणों के स्पष्टीकरण सामान्य प्रकृति जैसे कि 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम आंकलन पर आधारित' तथा 'व्यय का प्रतिबंध' आदि दर्शाये गये थे। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुभाग 4 में निर्दिष्ट पारदर्शिता सिद्धान्त के विपरीत है।

2.3.11 प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

राबनि के पैरा 23.16 के अनुसार अनुदान, जो उचित रूप से उपयोजित नहीं की जा सके, अभ्यर्पित किये जाने चाहिये। वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 19,268.99 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 19,109.93 करोड़ (99.2 प्रतिशत) की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित की गई। इनमें से, 49 प्रकरणों (33 अनुदान एवं एक विनियोग) में ₹ 18,815.03 करोड़, जहाँ बचतों के प्रत्येक प्रकरण ₹ 20 करोड़ से अधिक के थे, वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये गये (परिशिष्ट 2.7), जबकि 16 अनुदानों एवं 1 विनियोग में,

जहाँ बचतें (₹ 10,289.06 करोड़) प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक की थी, ₹ 307.95 करोड़ की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई (परिशिष्ट 2.8)।

यह वास्तविक वित्तीय नियोजन की कमी एवं कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। मुख्य नियंत्रण अधिकारियों एवं विभागीय अध्यक्षों द्वारा राबनि में विहित बजटीय नियंत्रणों की उपेक्षा की गई तथा वित्त विभाग राज्य बजट पर सम्पूर्ण वित्तीय नियंत्रण रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियाँ वंचित रही।

विभागों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को बचतों के अभ्यर्पण के संबंध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2015)।

2.3.12 एक मुश्त प्रावधान

राबनि के पैरा 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, कुछ मामलों में एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो सकता है। प्रकरणों, जहाँ एकमुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, को छोड़कर बजट नोट में एकमुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण दिये जाने चाहिये।

अनुमानों में वर्ष 2014-15 के दौरान, 89 प्रकरणों (23 अनुदानों में ₹ 15 करोड़ से अधिक एवं बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) में ₹ 7,197.35 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया। इनमें से ₹ 5,237.77 करोड़ (72.8 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुपयोजित रहे, जिसे वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया (परिशिष्ट 2.9) एवं शेष राशि ₹ 1,959.58 करोड़ पुनर्विनियोजित की गई। इन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त बजट प्रावधान के कारण सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2015)।

2.3.13 वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण

तीन अनुदानों में, ₹ 1,677.38 करोड़ की बचतों के समक्ष ₹ 1,787.38 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई, जो कि ₹ 110 करोड़ अधिक थी (परिशिष्ट 2.10) यह इंगित करता है कि मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण रखने में विभाग विफल रहे। विभागों ने वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण के सम्बन्ध में कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (नवम्बर 2015)।

2.3.14 अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

एक विनियोग (लोक ऋण) के अन्तर्गत, राशि ₹ 15.29 करोड़ का अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण रहा, क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विनियोग के अन्तर्गत राशि ₹ 3.15 करोड़ का आधिक्य रहा।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 9-‘वन’ एवं अनुदान संख्या 24-‘शिक्षा, कला एवं संस्कृति’ के अन्तर्गत वर्ष 2012-15 की अवधि के लिये व्ययों एवं प्राप्तियों की समीक्षा में निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

अनुदान संख्या 9-वन

वन विभाग

(अ) राजस्व व्यय

समग्र राजस्व व्यय, गत वर्षों से 17.2 प्रतिशत तथा 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसाकि नीचे सारीकृत है:

तालिका 2.9: वर्ष 2012-15 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	
							बचतें	व्यय में वृद्धि दर
2406-वानिकी तथा वन्य जीव	2012-13	632.89	-	632.89	478.66	154.23	24.4	-
	2013-14	749.21	-	749.21	560.92	188.29	25.1	17.2
	2014-15	747.86	-	747.86	630.62	117.24	15.7	12.4

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2012-15 के दौरान, कुल बजट प्रावधानों की तुलना में बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शाते हुए, जो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विभागों द्वारा उचित संवीक्षा तथा व्यय के प्रवहन के उचित अनुश्रवण के बिना निधियों की आवश्यकता से अधिक आंकलन को दर्शाता है।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में व्यय की प्रवृत्ति में गत वर्षों से महत्वपूर्ण विचलन पाया गया। शीर्ष '2406-वानिकी तथा वन्य जीव, 01-वानिकी, 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता, 01-अधीनस्थ एवं दक्ष कर्मचारी वर्ग 01-स्थापना' के अन्तर्गत व्यय⁷ गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 62.5 प्रतिशत से कम तथा वर्ष 2014-15 के दौरान 169.8 प्रतिशत से बढ़ा। विभाग ने बताया कि वेतन एवं भत्तों में कमी/वृद्धि पंचायती राज संस्थान द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करता है। विभागीय उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह विभाग के वित्तीय प्रबंधन में प्रणालीगत कमी को दर्शाता है।

⁷ वर्ष 2012-13 के दौरान व्यय : ₹ 17.76 करोड़; वर्ष 2013-14: ₹ 6.66 करोड़ तथा वर्ष 2014-15: ₹ 17.97 करोड़।

(ब) पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय के लिए बजट अनुमानों में, वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण कमी (21.6 प्रतिशत) के बावजूद वास्तविक पूँजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि (46.9 प्रतिशत) हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान बजट अनुमानों में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि (118 प्रतिशत), के बावजूद पूँजीगत पक्ष में प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी (20 प्रतिशत) रही, जैसाकि तालिका 2.10 में दिखाया गया है:

तालिका 2.10: वर्ष 2012-15 के दौरान मूल प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	
							बचतें	व्यय में वृद्धि दर
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	2012-13	130.65	11.54	142.19	114.75	27.44	19.3	-
	2013-14	102.48	82.40	184.88	168.58	16.30	8.8	46.9
	2014-15	223.41	-	223.41	134.92	88.49	39.6	(-) 20.0

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों की तुलना में पूँजीगत व्यय में महत्वपूर्ण कमी मुख्यतः वनीकरण, वन संरक्षण, परिभ्रांषित वनों का संपोषण आदि में पाई गई, जो मूल अनुमानों में चाहे गए पूँजीगत कार्यों की ओर कम प्राथमिकता को दर्शाता है।

संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान राशि ₹ 11.54 करोड़⁸ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा क्योंकि वास्तविक व्यय मूल आवंटन से भी कम था। वर्ष 2013-14 के दौरान, विभिन्न शीर्षों में लिया गया ₹ 82.40 करोड़⁹ का अनुपूरक प्रावधान, बजट प्रावधानों की तुलना में अधिक पाया गया।

(स) सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

राबनि के पैरा 13.6 में प्रावधित है कि व्यय के अनुमान जहाँ तक हो सके यथार्थ होने चाहिए, वास्तविक व्यय से आधिक्य के समान ही अनुमानों में परिहार्य आधिक्य भी वित्तीय अनियमितता है। कुछ उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा समग्र प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया तथा वर्ष के अन्त में उसे अभ्यर्पित कर दिया गया। विभाग ने सूचित किया कि शीर्ष '4406-01-102-08' के अन्तर्गत आवंटित निधि ₹ 1.09 करोड़ का उपयोग, भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी नहीं करने के कारण नहीं किया जा सका। विभागीय उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने में

⁸ शीर्ष 4406-02-110-(04)-16- केवलादेव नेशनल पार्क का विकास।

⁹ (i) शीर्ष 4406-01-101-10-16 : ₹ 5.97 करोड़, (ii) शीर्ष 4406-01-102-14-16 : ₹ 56.10 करोड़, (iii) शीर्ष 4406-01-800-02-17 : ₹ 15.97 करोड़ तथा (iv) शीर्ष 4406-02-110-04-16 : ₹ 4.36 करोड़।

विभागीय अनुसरण की कमी को दर्शाता है। शीर्ष '4406-02-110-08' के अन्तर्गत ₹ 2 करोड़ के अभ्यर्पण से संबंधित विशिष्ट कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये (नवम्बर 2015)।

(द) प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-15 के दौरान, अनुदान के शीर्ष '0406-वानिकी तथा वन्य जीव' के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका 2.11 में सारीकृत है-

तालिका 2.11.: वर्ष 2012-15 के दौरान प्राप्तियों की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+) /कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
2012-13	56.05	73.53	91.24	(+)17.71	24.1
2013-14	66.67	87.39	77.52	(-) 9.87	(-) 11.3
2014-15	87.44	80.20	89.31	(+) 9.11	11.4

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण प्राप्तियों के बावजूद आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी पायी गयी जैसाकि तालिका 2.12 में दिया गया है-

तालिका 2.12.: वर्ष 2012-15 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+) /कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1	0406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 101-लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादितों की बिक्री	2012-13	31.46	43.98	43.82	(-) 0.16	(-) 0.4
		2013-14	41.67	40.85	38.78	(-) 2.07	(-) 5.1
		2014-15	42.09	35.31	38.21	2.90	8.2
2	0406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 800-अन्य प्राप्तियाँ	2012-13	14.80	14.81	31.85	17.04	115.0
		2013-14	10.11	31.19	24.20	(-) 6.99	(-) 22.4
		2014-15	29.82	28.56	33.40	4.84	16.9

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों के संबंध में उल्लेखनीय विचलन थे, जो कि अनुमानों में कमियों को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग

(अ) राजस्व व्यय

वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान वास्तविक बजट प्रावधान, व्यय तथा बचतों ने असंगत प्रचलन दर्शाया। वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान,

वास्तविक प्रावधान पिछले वर्षों की तुलना में 16 प्रतिशत तथा 33.7 प्रतिशत अधिक थे लेकिन व्यय में वृद्धि क्रमशः 18.45 प्रतिशत तथा 21.74 प्रतिशत दर्शित हुई जैसाकि तालिका 2.13 में सारीकृत है।

तालिका 2.13: वर्ष 2012-15 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	
							बचतें	व्यय में वृद्धि दर
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2012-13	12,458.04	-	12,458.04	11,491.78	966.26	7.76	-
	2013-14	14,453.24	361.85	14,815.09	13,611.65	1,203.44	8.12	18.45
2202-सामान्य शिक्षा	2014-15	19,318.57	-	19,318.57	16,570.32	2,748.25	14.23	21.74
2203-तकनीकी शिक्षा								
2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं								
2205-कला एवं संस्कृति								

स्रोत: विनियोग लेखे।

संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 361.85 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान में राशि ₹ 246.90 करोड़ शीर्ष '2202-01-197-10 पंचायत समिति को प्राथमिक विद्यालय के लिए अनुदान' तथा ₹ 114.95 करोड़ शीर्ष '2202-01-800-17 राजीव गांधी डीजिटल विद्यार्थी योजना में लैपटाप के वितरण हेतु अनुदान' शामिल थे। तथापि, दोनो शीर्षों के लिए प्रावधान, अनुपूरक अनुदान की मांग के बिना, मूल आवंटन से किया जा सकता था, क्योंकि तीनों वर्षों में वास्तविक व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया। इसके अलावा, नमूना जाँच के दौरान, व्यय में असामान्य वृद्धि पायी गयी जैसाकि तालिका 2.14 में दर्शाया है।

तालिका 2.14: वर्ष 2012-15 के दौरान अनुदान 24 के अन्तर्गत कुछ शीर्षों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय में वृद्धि (₹ में)	प्रतिशतता वृद्धि	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान 08-विधि महाविद्यालय (आयोजना-भिन्न)	2012-13	1.03	0.15	--	--	महाविद्यालयों में कर्मचारियों की नई भर्ती के कारण वृद्धि।	आयोजना-भिन्न शीर्ष के अन्तर्गत किया गया व्यय वेतन तथा भत्तों/बकाया के भुगतान से संबंधित था, जो कि बजट अनुमान तैयार करते समय अनुमानित किया जा सकता था।
		2013-14	0.09	0.55	0.40	266.7		
		2014-15	10.20	5.33	4.78	869.1		

क. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय में वृद्धि (₹ में)	प्रतिशतता वृद्धि	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
2	2202-सामान्य शिक्षा 05-भाषा विकास 103-संस्कृत शिक्षा 02-संस्कृत महाविद्यालय (आयोजना-भिन्न)	2012-13	15.94	17.26	--	--	यूजीसी वेतन श्रृंखला लागू करने से वेतन तथा भत्तों में वृद्धि।	
		2013-14	20.16	23.68	6.42	37.2		
		2014-15	22.64	33.83	10.15	42.9		

स्रोत: विनियोग लेखे तथा विभागीय उत्तर।

(ब) पूँजीगत व्यय

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में पूँजीगत व्यय के लिये बजट अनुमानों में गत वर्षों की तुलना में 13.63 तथा 32.24 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी होने के बावजूद, वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान वास्तविक व्यय में प्रावधानों की तुलना में भी महत्वपूर्ण कमी (क्रमशः 39.5 प्रतिशत तथा 47 प्रतिशत) रही, जो कि पूँजीगत कार्यों की प्राथमिकता पर कम ध्यान दिये जाने को इंगित करता है, जैसाकि तालिका 2.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: वर्ष 2012-15 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	
							बचतें	व्यय में वृद्धि दर
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	2012-13	91.71	12.75	104.46	85.26	19.20	18.4	-
	2013-14	79.21	-	79.21	31.24	47.97	60.6	(-) 63.4
	2014-15	53.67	-	53.67	25.20	28.47	53.0	(-) 19.3

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2012-13 में किया गया अनुपूरक प्रावधान भी अनावश्यक पाया गया क्योंकि वास्तविक व्यय मूल आवंटन से 7.03 प्रतिशत कम रहा।

(स) सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

राबनि के पैरा 13.6 में प्रावधित है कि व्यय का अनुमान जहाँ तक हो सके यथार्थ होना चाहिए, वास्तविक व्यय से आधिक्य की तरह ही अनुमानों में परिहार्य आधिक्य भी वित्तीय अनियमितता है। कुछ उप-शीर्षों की विस्तृत जाँच में प्रकट हुआ कि विभाग द्वारा सम्पूर्ण बजट प्रावधान (₹ 1 करोड़ से अधिक) का उपयोग

नहीं किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन कर दिया गया जैसाकि परिशिष्ट 2.11 में दिया गया है।

(द) प्राप्तियाँ

वर्ष 2012-15 की अवधि के दौरान अनुदान के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष '0202' में राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका 2.16 में दी गई है।

तालिका 2.16- वर्ष 2012-15 के दौरान प्राप्तियों की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+) /कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
2012-13	53.80	60.00	83.42	(+) 23.42	39.0
2013-14	62.00	85.44	95.94	(+) 10.50	12.3
2014-15	75.00	78.23	80.93	(+) 2.70	3.5

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

कुछ शीर्षों (तालिका 2.17) की नमूना जाँच में पाया गया कि आगामी वर्षों में उल्लेखनीय वास्तविक प्राप्तियों के बावजूद अनुमान कम रखे गये:

तालिका 2.17- वर्ष 2012-15 के दौरान प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+) /कमी (-)	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 101-प्रारम्भिक शिक्षा	2012-13	2.90	3.08	11.00	(+) 7.92	257.1
		2013-14	3.08	24.22	27.68	(+) 3.46	14.3
		2014-15	11.26	12.54	19.30	(+) 6.76	53.9
2	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा	2012-13	10.45	13.68	15.95	(+) 2.27	16.6
		2013-14	13.82	14.58	16.46	(+) 1.88	12.9
		2014-15	14.45	15.57	19.37	(+) 3.80	24.4
3	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 103-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	2012-13	4.29	3.51	7.18	(+) 3.67	104.6
		2013-14	3.10	4.68	5.49	(+) 0.81	17.3
		2014-15	5.45	5.70	8.04	(+) 2.34	41.1
4	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति 03-खेलकूद तथा युवा सेवाएं 800-अन्य प्राप्तियाँ	2012-13	0.08	0.04	1.04	(+) 1.00	2500.0
		2013-14	0.04	1.70	1.60	(-) 0.10	5.9
		2014-15	1.75	1.60	0.00	(-) 1.60	100.0

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों में विचलन 5.9 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत से अधिक के मध्य था जो कि अनुमानों में कमी को इंगित करता है। वर्ष 2014-15 में शीर्ष '0202-03-800' के लिए ₹ 1.60 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ शून्य थी।

2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान की धारा 267(2) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से अग्रिम, अप्रत्याशित व्यय के प्रयोजन, जिन्हें विधानसभा द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित नहीं किया जा सकता, हेतु ले सकती है। राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम तथा प्रत्याहरण राबनि के अध्याय 5 के पैरा 5.1 से 5.13 के प्रावधानों द्वारा संचालित होते हैं। राबनि का पैरा 5.6 बताता है कि अग्रिम के लिये मांग प्रस्तुत करने से पूर्व सभी प्राथमिकताएँ, जैसे कि प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, स्थल का चुनाव आदि पूर्ण हो जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त, राबनि के पैरा 5.11 में वर्णित है कि, आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये लिया गया अग्रिम, पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपयोजित रहता है, तो स्वीकृति का निरस्तीकरण या संशोधन वित्त विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिये।

वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दो मुख्य शीर्षों¹⁰ के अन्तर्गत ₹ 5.60 करोड़ की एक स्वीकृति, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को बहुउद्देशीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र¹¹ में जन उपयोगी निर्माण कार्य जैसे स्वास्थ्य उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाडी केन्द्र आदि लागू करने हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने के लिए जारी (अक्टूबर 2014) की गयी। स्वीकृति की प्रभावी तिथि 15 फरवरी 2015 थी। दस्तावेजों की जाँच में प्रकट हुआ कि कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय तथा कम्प्यूटराईजेशन कार्य आदि के लिये आवंटित ₹ 10 लाख में से केवल ₹ 0.35 लाख ही प्रभावी तिथि तक उपयोजित किये गये। इसके अलावा, मुख्य निर्माण कार्य के लिए आवंटित ₹ 5.50 करोड़ में से स्वीकृति की प्रभावी तिथि तक केवल ₹ 2.49 करोड़ ही उपयोजित हुए। तथापि, वित्त विभाग द्वारा अनुपयोगी राशि की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा ना तो संशोधित की गई और ना ही निरस्त की गई जैसाकि राबनि के अन्तर्गत आवश्यक था। आकस्मिकता निधि से आहरित की गई राशि अनुचित थी क्योंकि ₹ 3.11 करोड़ की सीमा तक राशि अनुपयोजित रही। यह आकस्मिकता निधि के प्रावधानों में अन्तर्निहित सिद्धान्तों, जिसके अनुसार ऐसे प्रकरणों जिनमें व्यय हेतु अनुपूरक अनुदानों को प्राप्त करने तक स्थगित नहीं किया जा सकता है, की भावना के विरुद्ध था।

¹⁰ शीर्ष "2225-04-102(01)[04] (₹ 10 लाख)" तथा "4225-04-102(01)[04] (₹ 550.40 लाख)"।

¹¹ जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, नागौर तथा भरतपुर।

2.6 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें

31 दिसम्बर 2010 तक संशोधित, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 8 (2) में निर्दिष्ट है कि निधियों का आहरण तभी किया जावे जब तुरंत भुगतान किया जाना हो एवं व्यय या भुगतान किसी नियम या सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों के अन्तर्गत प्राधिकृत हो। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 219, सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों को बनाने/आहरण करने और विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों को नियंत्रण अधिकारियों/प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत किये जाने को विनियमित करता है। आगे, नियम 220(1) में निर्धारित प्रमाण-पत्र, डीसी बिलों को तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना उपबन्धित करता है। (विदेश से मशीनरी/उपकरण एवं अन्य सामान साख-पत्र द्वारा क्रय करने के प्रकरणों में डीसी बिल सक्षम प्राधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छः माह में प्रस्तुत किये जायेंगे)।

आहरित ₹ 4,794.52 करोड़ के 43,965 एसी बिलों (31 मार्च 2015 तक) के विरुद्ध ₹ 4,505.59 करोड़ की राशि के 43,597 डीसी बिल प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा प्राप्त किये गये, परिणामस्वरूप 30 जून 2015 तक ₹ 288.93 करोड़ के 368 एसी बिल बकाया थे। बकाया एसी बिलों का वर्षवार विवरण नीचे तालिका 2.18 में दिया गया है:

तालिका 2.18: प्रस्तुतीकरण में लम्बित सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित एसी बिल		प्राप्त हुए डीसी बिल		असमायोजित एसी बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2008-09 तक	28,137	1,978.00	28,109	1,973.31	28	4.69
2009-10	3,669	708.79	3,669	708.79	-	-
2010-11	2,460	419.86	2,453	418.34	7	1.52
2011-12	1,471	197.72	1,451	193.40	20	4.32
2012-13	1,834	253.84	1,814	246.12	20	7.72
2013-14	3,130	616.42	3,080	537.12	50	79.30
2014-15	3,264	619.89	3,021	428.51	243	191.38
योग	43,965	4,794.52	43,597	4,505.59	368	288.93

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान

कुछ असमायोजित एसी बिल राजस्व विभाग (81: ₹ 237.22 करोड़), ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग (57: ₹ 3.72 करोड़), भू-राजस्व विभाग (16: ₹ 8.37 करोड़), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (55: ₹ 19.37 करोड़) और पुलिस विभाग (27: ₹ 5.12 करोड़) से संबंधित थे। जून 2015 की अवधि तक लम्बित डीसी बिलों का मुख्य शीर्षवार विवरण *परिशिष्ट 2.12* में दिया गया है।

• **असमायोजित सारांशीकृत आकस्मिक बिल**

निम्नलिखित प्रकरणों में आहरित एसी बिल, दो या तीन साल की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी असमायोजित रहे:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	एसी बिल		आहरित राशि
		मुख्य शीर्ष	संख्या तथा दिनांक	
1.	सवाई मानसिंह, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4210	2031/30.03.2013	86.00
		4210	2567/31.03.2014	185.00
2.	एसपी, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	2210	1330/31.03.2012	55.04
		2210	1395/18.03.2013	54.82
		4210	1467/28.03.2013	2.65
		4210	1494/30.03.2013	8.94
3.	जिला कलक्टर, अलवर	2245	813/19.03.2013	103.50

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान तथा संबंधित विभाग

विभाग ने मैसर्स राजकॉम्प इन्फो. सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं करना तथा उपकरणों का प्राप्त नहीं होना कारण सूचित किये। एक प्रकरण में, जिला कलक्टर, अलवर ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि लक्ष्मणगढ़ तहसील में धोखाधड़ी के कारण राशि ₹ 1.03 करोड़ के एसी बिल (813/19.03.2013) के विरुद्ध डीसी बिल, प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

यह विभाग में अनुश्रवण के अभाव तथा व्यवस्थापरक कमी को दर्शाता है।

• **निर्धारित अवधि पश्चात डीसी बिल द्वारा समायोजित एसी बिल**

निम्नलिखित प्रकरणों में (तालिका 2.19) अव्ययीत राशि निर्धारित अवधि के 2 से 14 माह के बाद जमा कराई गई:

तालिका 2.19- सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समायोजन में विलम्ब

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या/दिनांक	राशि (₹ लाख में)	डीसी बिल संख्या/दिनांक	विलम्ब माह में
1.	जिला कलक्टर, अलवर	2245	812/19.03.2013	182.00	5/05.08.2014	14
		2245	827/23.03.2013	353.28	4/06.06.2014	12
2.	जिला कलक्टर, अजमेर	2245	1/15.5.2013	261.18	6/15.05.2014	9
			5/21.5.2013	776.55		9
			6/24.05.2013	587.78		9
			9/31.05.2013	432.73		9
			13/17.07.2013	2.06		7
			23/3.10.2013	1,030.36		4
			26/26.12.2013	1.01		2
			2245	2/15.5.2013		292.08
		4/21.5.2013	30.16	9		
		8/31.05.2013	307.14	9		
24/03.10.2013	320.24	4				
			25/30.10.2013	0.72		4
			27/16.12.2013	0.02		2

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान तथा संबंधित विभाग

अव्ययीत राशि को विलम्ब से जमा कराना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 219 तथा 220 (1) प्रावधानों का उल्लंघन था।

2.7 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1,39,053.78 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 1,19,784.79 करोड़ की राशि व्यय हुई एवं ₹ 19,268.99 करोड़ की बचतें रही। 14 प्रकरणों में ₹ 1,168.36 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

विभाग द्वारा ₹ 19,109.93 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को अभ्यर्पित किये जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। चार प्रकरणों में, ₹ 110 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये। एक विनियोग (प्रभारित व्यय के अन्तर्गत लोक ऋण-पुनर्भुगतान) में आधिक्य व्यय ₹ 3.15 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 15.29 करोड़ अभ्यर्पित किये गये। 89 प्रकरणों में, ₹ 7,197.35 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 5,237.77 करोड़ (72.8 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

कुछ अनुदानों में प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि (i) वन विभाग में, वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान समग्र राजस्व व्यय गत वर्षों की तुलना में 17 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत से बढ़ा, जबकि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 47 प्रतिशत से बढ़ा तथा 20 प्रतिशत से कम हुआ, (ii) शिक्षा विभाग में, वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान समग्र राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत से बढ़ा, जबकि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 63 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत से कम हुआ।

नियंत्रण/संवितरण अधिकारियों को आवंटित निधियों के आवश्यकता के अनुसार समुचित उपयोग के लिए स्वीकृत आवंटन के समक्ष व्यय की प्रगति हेतु नजदीकी एवं निरन्तर निगरानी रखनी चाहिये। उन्हें मासिक व्यय नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रक्रिया को भी विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिये।

सभी विभागों को व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने के प्रयास करने चाहिये ताकि वर्ष के अन्त में बड़े पैमाने पर होने वाले आधिक्य/बचत, पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण से बचा जा सके एवं उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी रूप से उपयोग हो सके।

30 जून 2015 तक ₹ 288.93 करोड़ के 368 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल बकाया थे।

सारांशीकृत आकस्मिक बिलों से आहरित किये गये अग्रिमों का निर्धारित अवधि में समायोजन करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण प्रक्रिया लागू की जानी चाहिये।

₹ 27,268.51 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 14,075.99 करोड़ की राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 30 प्रतिशत से भी अधिक) वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय किये गये। इसमें से, ₹ 9,888.46 करोड़ अकेले मार्च 2015 में व्यय किये गये, जिससे वर्ष के अन्त में व्यय की प्रचुरता रही।

वर्ष के अन्त में किये जाने वाले व्यय के आधिक्य की वजह से सम्बद्ध गुणवत्ता में होने वाले नुकसान को टालने के लिये विभाग को व्यय की प्रगति का वर्ष पर्यन्त ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिये।